ग्रामसभा के माध्यम से होगा खनिज प्रभावित क्षेत्र का विकास

जिला मिनरल फाउंडेशन बनाने के लिए बनेगी नियमावली, फाउंडेशन के माध्यम से ही तय होगा कि प्रभावित क्षेत्र का विकास कैसे हो

सिटी रिपोर्टर | रांची

खनिज संपदा वाले क्षेत्र में किसी कंपनी को लीज दिया जाता है, तो वहां के प्रभावित लोगों के विकास के लिए ग्रामसभा को जिम्मेवारी दी जाएगी। जिला खनिज फाउंडेशन नाम से एक संस्था बनेगी, जिसमें खनन पट्टा लेने वाली कंपनी सरकार को देने वाली रॉयल्टी का एक तिहाई हिस्सा फाउंडेशन में जमा करेगी।

फाउंडेशन की ओर से प्रभावित लोगों को व्यवस्थित करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर राशि खर्च की जाएगी। सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा फाउंडेशन के गठन के लिए नियमावली बनाया जाएगा। उसे देखने के बाद राज्य सरकार इस पर ठोस निर्णय लेगी। यह बातें खनन विभाग के प्रधान सचिव एसके सत्पथी ने कहीं। वे सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट संस्था की ओर से एक होटल में आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे।

इससे पूर्व सीएसई की निदेशक सुनीता नारायण और उप निदेशक चन्द्र भूषण ने जिला खनन फाउंडेशन की आवश्यकता और उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। मौके पर छत्तीसगढ़, ओड़िशा और झारखंड के कई एक्टिविस्ट मौजूद थे।

सेमिनार में विचार रखतीं सुनीता नारायण।

इसलिए फाउंडेशन जरूरी

खान और खनिज विकास और नियमन अधिनियम, 2015 में खनन क्षेत्र के समुदायों के साथ खनिज संपदा को बांटने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी।

अवैध खनन रोकने का कानून नाकाफी : रमेश

एकता परिषद के रमेश शर्मा ने कहा कि खनन कानून में बड़ी खामी है। अवैध खनन को रोकने के लिए कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, वह नाकाफी है। देश में 78 फीसदी उत्खनन अवैध हो रहा है। इसे रोकने के लिए एक हेक्टेयर पर पांच लाख रुपए दंड का प्रावधान किया गया है। जबकि एक हेक्टेयर जमीन पर लगभग 40 करोड़ रुपए का उत्खनन होता है। ऐसे में पांच लाख रुपए दंड देकर अवैध उत्खनन करना किसी भी कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है।

खनिज फाउंडेशन का गठन ग्रामसभा के हक में हो : प्रो. रमेश शरण

रांची यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी प्रो. रमेश शरण ने कहा कि खनिज जहां पर है, वहां सबसे अधिक गरीब लोग रह रहे हैं। खनन क्षेत्र में विस्थापित होने वाले लोगों के लिए न तो सरकार रहने की व्यवस्था करती है और न ही खाने और उनके बच्चों को पढ़ाने की। उन्होंने कहा कि कानून में खनिज फाउंडेशन के गठन का प्रावधान एक अच्छा प्रयास है। इसकी नियमावली इस तरह बननी चाहिए कि फाउंडेशन ग्राम सभा के हक में काम करे।

ऐसे आएगा फंड

खनन पट्टा या लाइसेंस लेने वाली कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित राशि फाउंडेशन में जमा करेगी। यह राशि खनन किए जाने वाले खनिज की रॉयल्टी के एक तिहाई तक होगी। पहले से कार्यरत खनन पट्टा धारकों को भी फाउंडेशन में राशि जमा करना है, जो रॉयल्टी से अधिक नहीं होगी। रॉयल्टी का प्रतिशत केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित किया जाएगा।

आगे क्या

कार्यशाला में विभिन्न एक्टिविस्ट द्वारा दी गई राय को मिलाकर स्पष्ट एजेंडा तय किया जाएगा। इसके बाद इसके आधार पर जिला खनन फाउंडेशन की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। सरकार इस पर फैसला लेगी कि ड्राफ्ट में क्या संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद इसी ड्राफ्ट के आधार पर खनिज फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी।